प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज, दिनांक सितम्बर 17, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 99 वाहनों का चालान किया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 07 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त मंचू पुत्र बगेडू नि0 सिसवा मुंशी थाना कोतवाली जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 434/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

जुआ अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1. जिरियावन पुत्र रमई 2. विरेन्द्र पुत्र राजाराम नि0 गुजरौलिया थाना बृजमनगंज को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 200/22 धारा 13 जुआ अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही -

थाना फरेन्दा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1. काजू चौधरी पुत्र मोहन नि0 मुजहना 2. लखपत उर्फ इश्वर पुत्र कन्हई 3. रामबच्चन चौधरी पुत्र कन्हई नि0 फरेन्दा थाना फरेन्दा जनपद महराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 निल/22 धारा ¾ गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 18 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 16/17.09.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 09 अभियुक्तो को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।